


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 717]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 19, 2015/कार्तिक 28, 1937

No. 717]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2015/KARTIKA 28, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पलन पथ)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 887(अ).—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, व.उ.विदम्बरनगर के पत्तन के बोर्ड के न्यासीगण द्वारा, तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (मर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 को और आगे संशोधन करने हेतु, बनाए गए तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (मर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को एतद्वारा अनुमोदन देती है और इस अधिसूचना के साथ संलग्नित अनुसूची में निर्दिष्ट हैं।

2. उक्त संशोधित विनियम, सरकारी राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

व. उ. विदम्बरनगर पत्तन न्यास

तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (मर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, व.उ. विदम्बरनगर पत्तन न्यास के बोर्ड के न्यासीगण, एतद्वारा, तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (मर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 को, और आगे संशोधन करने हेतु, निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. लघु शीर्ष एवं प्रारंभ :

(i) ये विनियम, तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (मर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 कहे जाएंगे।

(ii) ये, भारत के राजपत्र में, महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के अधीन, आवश्यकतानुसार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से प्रकाशन होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. तूत्तुकुडि पत्तन न्यास कर्मचारी (मर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2008 में :-

- (i) विनियम 12 के उप विनियम (2) (क) में - सेवा चयन समिति, "पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन) - अध्यक्ष" के शब्दों को, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-
"पीएचआरडी के प्रभार को संभालने वाले, पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव -अध्यक्ष"
- (ii) अनुसूची में, "पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन) - अध्यक्ष" जहाँ भी उल्लिखित हो, निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :-
"पीएचआरडी के प्रभार को संभालने वाले, पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव -अध्यक्ष"

[फा. सं. पीआर-12016/2/2015-पी.ई.-I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :- प्रमुख विनियम, सा.का.नि. 603(अ), दिनांकित: 21.08.2008 में प्रकाशित है।

MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2015

G.S.R. 887(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of V.O.Chidambaranar further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008 and as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

V. O. CHIDAMBARANAR PORT TRUST

Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015

In exercise of powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Board of Trustees of V.O.Chidambaranar Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008, namely:—

1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of Major Port Trusts Act, 1963 in the Gazette of India.

2. In the Tuticorin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2008.—

- (i) in Sub Regulation (2) (a) of Regulation 12-'SERVICES SELECTION COMMITTEE', the words "Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping- Chairman" shall be substituted by the following:—
"Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD- Chairman"
- (ii) in the schedule, the words, "Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping- Chairman", wherever occurring, shall be substituted by the following:—
"Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD- Chairman"

[F. No. PR-12016/2/2015-PE. I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.